

न्यायालय:-अमूल मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीअंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 251/18

संस्थित दिनांक 17.05.2018

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियोगी

विरुद्ध

लखन पिता बालाराम गेहलोत
उम्र 30 वर्ष, निवासी तलवाडा
बुजुर्ग, जिला बड़वानी

.....अभियुक्त

:: / / निर्णय / / ::

(आज दिनांक 17/05/2018 को घोषित)

1— अभियुक्त लखन पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 4—क के तहत यह अभियोग है कि वह दिनांक 07.05.2018 को शाम 6:30 बजे के लगभग बस स्टेण्ड अंजड़ में सट्टा अंक लिखकर रुपये लेकर रूपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाया गया।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त ने इस निर्णय की कण्डिका 1 में वर्णित आरोपों को स्वेच्छा से बिना किसी डर दबाव के स्वीकार किया है।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2018 को थाना अंजड़ पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव को कस्बा भ्रमण के दौरान अस्पताल चौक अंजड़ में मुखबीर से सूचना मिली कि बस स्टेण्ड अंजड़ के पास एक व्यक्ति लोगों से रुपये पैसे लेकर सट्टा पाना भर रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान देवेन्द्र व सुभाष को तलब कर सूचना से अवगत कराया व बताए स्थान पर दबिश दी तथा सट्टा लिख रहे व्यक्ति को पकड़ा सट्टा लिखाने वाले भाग गये। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम लखन पिता बालाराम गेहलोत बताया तथा उसके पास 365 रुपये नगद, कल्याण क्लोज की सट्टा पर्ची, एक कार्बन का टुकड़ा तथा एक लीड पेन पाया जिसे जप्त किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बाद थाना वापस आकर उसके विरुद्ध थाने का अपराध क्र. 180/18 अंतर्गत धारा 4—क सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं प्रकरण को विवेचना में लिया। विवेचना दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

4— उक्त अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4—क

सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत अपराध विवरण विरचित किया जाकर अभियुक्त को अपराध विवरण पढकर सुनाये एवं समझाये जाने उसने उक्त अपराध करना स्वीकार किया उसका अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है:—

क्या अभियुक्त लखन पिता बालाराम दिनांक 07.05.2018 को दोपहर 6:30 बजे के लगभग बस स्टेण्ड अंजड में सट्टा अंक लिखकर रुपये लेकर रूपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाया गया?

//निष्कर्ष के आधार//

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष

6— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के असल होने को अभियुक्त ने स्वीकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उसने उक्त अपराध किया है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के द्वारा धारा 4-क सार्वजनिक द्युत अधिनियम का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने से उसे धारा 4-क सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

7— दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि होना अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। उक्त स्थिति में अभियुक्त को धारा 4-क सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 750/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है।

8— प्रकरण में जप्तशुदा 365 रुपये राजसात किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा कल्याण क्लोज की सट्टा पर्ची, एक कार्बन का टुकड़ा तथा एक लीड पेन मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित।
एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(अमूल मंडलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड
जिला बड़वानी म.प्र.

(अमूल मंडलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड
जिला बड़वानी म.प्र.